

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 493]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2014—कार्तिक 3, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2014

क्र. 6136-268-इकीस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव।

मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक ७ सन् २०१४

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, २०१४.

विषय-सूची

धाराएँ :

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
- मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २५ सन् १९५८ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना।
- धारा ६ का संशोधन।
- धारा ३३ का स्थापन।
- धारा ४१ का संशोधन।
- धारा ५३ का स्थापन।
- धारा ५४ का संशोधन।
- धारा ५९ का संशोधन।

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ७ सन् २०१४

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, २०१४

[“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक २५ अक्टूबर २०१४ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया।]

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया।

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश।

यतः, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ है।

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २५ सन् १९५८ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना।

धारा ६ का संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ६ में, उपधारा (३) में, अंत में आने वाले पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परंतु यदि उपधारा (२) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से विहित कालावधि के भीतर निरीक्षक द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित नहीं किया जाता है तो सम्यक् रूप से पंजीयन कर दिया गया समझा जाएगा।”

धारा ३३ का स्थापन।

४. मूल अधिनियम की धारा ३३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“३३. ऐसी स्थापना या स्थापनाओं की त्रैणी को छोड़कर, जो कि विहित की जाए, प्रत्येक स्थापना में आग से बचाव के लिए ऐसे पूर्वोपाय तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अध्युपाय किए जाएंगे जैसे कि विहित किए जाएं।”

धारा ४१ का संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा ४१ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—

“(३) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी निरीक्षक श्रम आयुक्त या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय किसी ऐसी स्थापना में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा जहां कि दस से कम कर्मचारी नियोजित हैं।”

धारा ५३ का स्थापन।

६. मूल अधिनियम की धारा ५३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“५३. इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस निमित्त राज्य सरकार के किसी सामान्य

अपराध का समझौता।

या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, प्रथमबार या पूर्व के अपराध के (यदि कोई हो), कारित किए जाने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् कारित किसी अपराध का, या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या उसके पश्चात् समझौता शुल्क के रूप में उतनी धनराशि, जो जुमानि की अधिकतम धनराशि से अधिक न हो परन्तु जो जुमानि की अधिकतम धनराशि के आधे से कम न हो, जितनी कि वह उचित समझे, वसूल करने के पश्चात् समझौता करा सकेगा; जब अपराध का समझौता—

- (एक) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व, कराया जाता है तो अपराधी अभियोजन का दायी नहीं होगा और यदि अभिरक्षा में है तो स्वतंत्र कर दिया जाएगा;
- (दो) अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् कराया जाता है तो समझौते से अपराधी दोषमुक्त हो जाएगा.”.

७. मूल अधिनियम की धारा ५४ में, अंत में आने वाले पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“परंतु सरकार, आदेश द्वारा, ऊपर विहित प्ररूपों के बदले पंजियों तथा अभिलेखों को रखने के लिए समेकित प्ररूप बना सकेगी या अधिसूचित कर सकेगी :

परन्तु यह और कि सरकार पंजियों तथा अभिलेखों का कम्प्यूटरीकृत या डिजिटल रूपविधान (फार्मेट) में संधारित किया जाना, अनुज्ञात कर सकेगी.”.

८. मूल अधिनियम की धारा ५९ में, उपधारा (२) में, खण्ड (३) में, शब्द “आग से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानी” के स्थान पर “आग तथा परिसंकटों से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानी” स्थापित किए जाएं।

भोपाल :

तारीख : २२ अक्टूबर, २०१४.

राम नरेश यादव

राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2014

क्र. 6137-268-इक्कीस-अ (प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक ७ सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 7 OF 2014

THE MADHYA PRADESH SHOPS AND ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) ORDINANCE, 2014

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Madhya Pradesh Act No. 25 of 1958 to be temporarily amended.
3. Amendment of Section 6.
4. Substitution of Section 33.

5. Amendment of Section 41.
6. Substitution of Section 53.
7. Amendment of Section 54.
8. Amendment of Section 59.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 7 of 2014

THE MADHYA PRADESH SHOPS AND ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) ORDINANCE, 2014.

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 25th October, 2014.]

Promulgated by the Governor in the Sixty-fifth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Shops and Establishments (Amendment) Ordinance, 2014.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Madhya Pradesh Act, No. 25 of 1958 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendments specified in Sections 3 to 8.

Amendment of Section 6.

3. In Section 6 of the principal Act, in sub-section (3) for the full stop occurring at the last place, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that if no adverse order is passed by the Inspector within the prescribed period from the date of submission of application under sub-section (2), then the registration shall be deemed to be duly granted.”.

4. For Section 33 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

“33. In every establishment except such establishment or class of establishment, as may be prescribed, such precaution against fire and such measures for ensuring health and safety of employees shall be taken as may be prescribed.”.

Amendment of Section 41.

5. In Section 41 of the principal Act, after sub-section (2), the following new sub-section shall be added, namely :—

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no Inspector shall exercise his powers, in an establishment where less than ten employees are employed, except with the permission of the Labour Commissioner or an officer so authorised by him.”.

6. For Section 53 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

Substitution of
Section 53.

“53. Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, an officer authorized by the State Government in this behalf by notification may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, compound any offence committed for the first time or after expiry of a period of two years of commitment of previous offence (if any), either before or after institution of the prosecution, on realization of such amount of composition fee, as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine but not less than half of the maximum amount of fine for the offence as composition fee; when the offence is so compounded—

Composition of
offence.

- (i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution and shall, if in custody, be set at liberty;
- (ii) after the institution of prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender.”.

7. In Section 54 of the principal Act, for the full stop occurring at the last place, the colon shall be substituted and thereafter the following provisos shall be inserted namely :—

Amendment of
Section 54.

“Provided that the Government, by order, may devise or notify consolidated forms for maintaining registers and records in lieu of the forms prescribed above :

Provided further that the Government may allow the registers and records to be maintained in computerised or digital formats.”.

8. In Section 59 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (e), for the words “Precautions against fire”, the words “Precautions against fire and hazards” shall be substituted.

Amendment of
Section 59.

Bhopal:

Dated : the 22nd October, 2014.

RAM NARESH YADAV
Governor,
Madhya Pradesh.